

आदेश

श्री अशोक कुमार, सचिव, नगरपालिका, नारायणगढ़ का दिनांक 14-01-2019 से 01-02-2019 तक कुल 19 दिनों का अर्जित अवकाश जो कि निदेशालय के पत्र क्रमांक डी.यू.एल.बी./स्था./1ई/2019/133/PF/A/2948-52, दिनांक 15-01-2019 द्वारा स्वीकृत किया गया था, को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया जाता है तथा इस दौरान श्री अजय वालिया, सचिव, नगरपालिका, बराड़ा को अपने कार्य के अतिरिक्त नगरपालिका, नारायणगढ़ का दिया गया अतिरिक्त कार्यभार भी वापिस लिया जाता है।

स्थान: पंचकुला
दिनांक 24-01-2019

शेखर विद्यार्थी,
निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा।

पू0 क्रमांक डी.यू.एल.बी./स्था./1ई/2019/133/PF/A/5262-66 दिनांक 24/1/19

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।
2. उपायुक्त, अम्बाला।
3. श्री अशोक कुमार, सचिव, नगरपालिका, नारायणगढ़।
4. श्री अजय वालिया, सचिव, नगरपालिका, बराड़ा।
5. वैबपोर्टल।

अधीक्षक स्थापना,
कृते: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।